न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

हसनपुर थाना काण्ड सं0 63/21, कम्पयूटर निबंधन सं0 340/21

01.9.21 आवेदक **1.जयकान्त यादव, पिता–स्व0 रामबालक यादव, ग्राम–सुरहा वसंतपुर, थाना–हसनपुर, जिला–समस्तीपुर,** जो हसनपुर थाना काण्ड सं0 63/21, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 25.7.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 कमरूल होदा अजीजी के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनकी ओर से पूर्व में ए0बी0पी0 930/21 दाखिल किया गया था जिसे आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण वापस ले लिया गया। उसके पश्चात उनकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन, मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है, कि उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र संदेह के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। सूचक द्वारा धारा–100 दं0प्र0सं0 का अनुपालन नही किया गया है। प्रस्तुत वाद में जप्ती सूची तथाकथित घटना के पॉच घंटा के बाद तैयार किया गया है तथा उसके गवाह घटनास्थल से लगभग चार किलोमीटर दूर दूसरे गॉव के निवासी हैं। प्राथमिकी में सूचक द्वारा आवेदक अभियुक्त को पहचानने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किया गया है। उसके विरूद्व पूर्व से उत्पाद से संबंधित एक वाद लम्बित है। उसके अतिरिक्त उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह एक किसान है ,जो दिनांक 25.7.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक विदेशी शराब का कारोबारी है जिसका आपराधिक इतिहास है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक को गुप्त सूचना मिली, कि समयपुरा रेलवे पूल के समीप चौबटिया पर पूर्व शराब कारोबारी राजेश यादव एवं जयकान्त यादव(आवेदक अभियुक्त) अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मंगाया है। उक्त सूचना पर सूचक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा, कि एक ट्रक खड़ी है जिसके पास 5–6 युवक खड़े हैं जो ट्रक का तिरपाल हटा रहे हैं। सभी लोग पुलिस वाहन की रौशनी को देखकर भागने में सफल रहे। उनमें से दो लोगों राजेश यादव एवं जयकान्त यादव(आवेदक अभियुक्त) को पहचाना गया जो पूर्व में भी शराब काण्ड में आरोपित है। सूचक द्वारा तलाशी के क्रम में ट्रक निबंधन सं0 आर0जे014जी0एच0–1029 में बने तहखाना से 6399.360 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक अभियुक्त विदेशी शराब का कारोबारी है जिसका आपराधिक इतिहास है। उसके विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता, आपराधिक इतिहास तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

वि0 न्या0उत्पाद